N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0306 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/12/2024 21:24 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 22/12/2024 **Date To (दिनांक तक):** 23/12/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:22 बजे **Time To (समय तक):** 20:22 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/12/2024 **Time (समय):** 20:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 24/12/2024 21:24:03 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 102 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** ojhiyana balaji madir ke paas, badnore jila beawar

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** sharawan ram

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** jagmal ram

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1987 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	davra, bavdi, KHERAPA, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	davra, bavdi, KHERAPA, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	narayan singh khiriya		पिता:aaydan singh charan	1. mandol post pitha ka khera,BHILWARA,RAJASTHAN,I
2	ashok kumar vishnoi		पिता:durgaram	1. dhako ki dhani,lohawat,JODHPUR CITY,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	5000 हजार रूपये	45,000.00

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	भारतीय मुद्रा व 40000 हजार डमी नोट	45,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 45,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

प्रकरण हाजा के हालात इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 22.12.2024 समय 11.22 ए0एम0 मन् उप अधीक्षक पुलिस को श्रीमति वन्दना भाटी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0ब्यूरो, स्पेशल यूनिट,अजमेर ने जरिये मोबाईल सूचना व निर्देश दिए कि मुख्यालय द्वारा संचालित हैल्प लाईन नम्बर 1064 पर परिवादी श्री राजू द्वारा दी गई सूचना पर परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्पादित की जावे। प्राप्त सूचना के आधार पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी के मोबाईल नं0[redacted] से सम्पर्क किया तो श्री सकताराम नाम के व्यक्ति ने वार्ता की एवं अवगत कराया कि मेरे पुत्र रामस्वरूप उर्फ राजू ने 1064 पर शिकायत दर्ज कराई थी। मेरे भतीजे रामपाल पुत्र भींयाराम निवासी डावरा तहसील बावडी जिला जोधपुर को दिनांक 15.12.24 को पुलिस थाना बार जिला ब्यावर में एन0डी0पी0एस0 के मामले में गिरफ्तार किया था जिस पर दर्ज मुकदमें का अनुसंधान पुलिस थाना बदनोर के थानाधिकारी श्री नारायण सिंह कर रहे हैं। मेरे भतीजे के साथ मारपीट नहीं करने और उसे जे0सी0 कराने के लिये थानाधिकारी श्री नारायण सिंह एवं बदनोर थाने का कानिस्टेबल श्री अशोक विश्नोई रिश्वत के तीन लाख रूपये मांग रहे हैं। रिश्वत राशि नही देने पर मेरे भतीजे रामपाल का और पी0सी0 रिमाण्ड लेने की धमकी दी है। आज ही रिश्वत राशि लेकर थाना बदनोर पर बुलाया है। मेरे साथ मेरा मामा का लडका भाई श्रवणराम भी आ रहा है। वार्ता के अनुसार मामला रिश्वत राशि के लेन देन का पाया जाने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक है अतः श्री सकताराम को ब्यावर उदयपुर हाईवे पर राजियावास तिराहे के पास मिलने की हिदायत दी। मन उपअधीक्षक पुलिस माफिक निर्देश भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट चोकी से सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर मय दो नये मैमोरी कार्ड इश्यू कराकर मय लैपटाप एवं चार्जर जाप्ता श्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक, श्री अर्जुन लाल कानि0 सरकारी वाहन बोलेरो एवं ड्राईवर श्री मनीष सोनी के 12.40 पी0एम0 पर ब्यावर की ओर रवाना हुआ। परिवादी को गोपनीयता रखने की हिदायत की गई। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गए। समय 01.50 पी0एम0 पर मन उपअधीक्षक पुलिस मय जाप्ता के ब्यावर उदयपुर हाईवे पर राजियावास तिराहे के पास पहुचा जहा श्री सकताराम पुत्र श्री गोरख राम जाति विश्नोई उम्र 42 साल निवासी डावरा (मानसागर) तहसील बावडी थाना खेडापा जिला जोधपुर अपने मामा के बेटे भाई श्री श्रवण राम के साथ मौजूद मिला। श्री सकताराम ने अग्रिम कार्यवाही अपने भाई श्री श्रवण राम द्वारा करवाया जाना एवं कार्यवाही के दौरान स्वयं का साथ में रहना बताया। श्री श्रवण राम ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मैं प्रार्थी श्रवणराम पुत्र जगमाल राम जाति विश्नोई निवासी डावरा तहसील बावडी थाना खेडापा जिला जोधपुर का हू। मेरा भतीजा रामपाल पुत्र भीयाराम उम्र करीब 30 साल निवासी डावरा (मानसागर) तेहसील बावडी जिला जोधपुर को दिनांक 15/12/2024 को पुलिस थाना बार जिला ब्यावर ने एनडीपीएस के मामले में गिरफ्तार किया था जिसका मुकदमा थाना बार पर दर्ज होकर अनूसंधान थाना अधिकारी बदनोर श्री नारायण सिंह द्वारा किया जा रहा है थाना अधिकारी नारायण सिंह एवम कानिस्टेबल अशोक विश्नोई मेरे भतीजे के साथ मुकदमे में मारपीट नहीं करने एवम पीसी रिमाण्ड नहीं लेने के एवज मे 300000 रू कि रिश्वत राशि मांग रहे है रूपये नहीं देने पर मेरे भतीजे का रिमांड लेकर और मारपीट करने कि धमकी दे रहा है मैं रिश्वत राशि मांगने वाले इन अधिकारियों को अपने जायज काम के लिये रिश्वत नहीं देना चाहता हू मैं उन्हे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू मेरी इन दोनों अधिकारियों से कोई लेन देन का बकाया या दुश्मनी नहीं है रिपोर्ट कार्यवाही हेतू पेश है। उपरोक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ परिवादी श्री श्रवण राम ने पुलिस थाना बार जिला ब्यावर के मुकदमा नम्बर 0123 दिनांक 15.12.24 की फोटो प्रति भी प्रस्तुत की। परिवादी श्री श्रवण राम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज के अवलोकन उपरान्त परिवादी श्री श्रवण राम से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बारे मे मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दरियाफ्त की गई तो श्री श्रवण राम ने प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की पुष्टि करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र परिवादी श्री श्रवणराम ने स्वयं की हस्तलिपि मे लिखा होना बताते हुए प्रार्थना पत्र पर अपने स्वयं के एवं श्री सकताराम के हस्ताक्षर होना बताया। श्री श्रवणराम ने यह भी बताया कि आरोपी कानिस्टेबल श्री अशोक विश्नोई अपने मोबाईल नम्बर

[redacted] से उसके मोबाईल नम्बर [redacted] पर जरिये वाट्सएप काल वार्ता करता है। थानाधिकारी बदनोर श्री नारायण सिंह एवं कानिस्टेबल श्री अशोक विश्नोई मुकदमे में उसके भतीजे रामपाल का पी0सी0 रिमाण्ड नहीं लेने एवं उसके साथ मारपीट नहीं करने की एवज में तीन लाख रूपयों की रिश्वत मांग रहे हैं। आज रामपाल को कोर्ट में पेश करना है इसीलिये कानिस्टेबल श्री अशोक बिश्नोई ने फोन करके उन्हें रिश्वत के पैसे लेकर आज ही पुलिस थाना बदनोर पर बुलाया है। हम इन दोनों भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत राशि नहीं देना चाहते हैं बल्कि उन्हें रिश्वत राशि के साथ पकडवाना चाहते हैं। हमारा श्री नारायण सिंह थानाधिकारी एवं कानिस्टेबल श्री अशोक विश्नोई से कोई उधार का लेन देन नहीं है ना हि हमारी इन दोनों से कोई रंजिश है। दरियाफ्त में परिवादी से आरोपी श्री नारायण सिंह व श्री अशोक विश्नोई से वार्ता कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही कराने हेतु कहा गया तो श्री श्रवण राम ने अवगत कराया कि श्री अशोक विश्नोई मेरे से जरिए वाट्सएप काल वार्ता करता है तथा मैं अभी कानिस्टेबल श्री अशोक विश्नोई से रिश्वत राशि मांग सत्यापन के बारे में वार्ता कर लूंगा। सहपरिवादी श्री सकताराम से भी पूछताछ की तो उसने भी परिवादी श्री श्रवणराम के कहे कथनों की ताईद की। परिवादी श्री श्रवण राम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने एवं परिवादी तथा सहपरिवादी से पूछताछ करने पर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर मामला पीसी एक्ट (यथा संशोधन 2018) 1988 का गठित होने की संभावना होने से प्रक्रियानुसार रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से मन् उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय से लाया गया डिजीटल वायस रिकार्डर निकालकर उसमें नया मैमोरी कार्ड संधारित करवाकर परिवादी श्री श्रवण राम को वायस रिकार्डर चालू व बंद करने की समझाईश की। तत्पश्चात मौके पर सरकारी वाहन में ही एकान्त में जाकर परिवादी श्री श्रवणराम के मोबाईल नं0 [redacted] से आरोपी श्री अशोक विश्नोई कानिस्टेबल के मोबाईल नं0 [redacted] पर जरिए वाट्सएप वायस काल मिलवाया जाकर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर आन करवाकर कार्यालय के डिजीटल वाइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड में दोनों के मध्य हुई वार्ता रेकार्ड की गई। रेकार्ड वार्ता को चालु कर सुना गया तो आरोपी श्री अशोक विश्नोई ने परिवादी श्री श्रवणराम को रिश्वत राशि के बारे में थाना बदनोर पर ही आकर बात करने के लिये कहा है। चूंकि रिश्वत मांग का पूर्ण सत्यापन कराने के लिये परिवादी को पुलिस थाना बदनोर बुलाया है अतः परिवादी एवं सह परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। परिवादी से आरोपी श्री अशोक विश्नोई की वाट्स एप काल पर हुई वार्ता की रिकार्डिंग वाला मैमोरी कार्ड डिजिटल वायस रिकार्डर में से निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री श्रवणराम एवं सहपरिवादी श्री सकताराम का हमरा कानि0 श्री अर्जुन राम से परिचय कराया गया। डिजिटल वायस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर कानि0 श्री अर्जुन राम के सुपुर्द किया एव उसे परिवादी एवं सहपरिवादी के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराने हेतु आवश्यक हिदायत देकर परिवादी की प्राईवेट कार से समय करीब 03.00 पी0एम0 पर पुलिस थाना बदनोर की ओर रवाना किया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता अपनी मौजूदगी छुपाते हुए मुकीम हुआ। समय 04.34 पी0एम0 पर कानि0 श्री अर्जुन लाल ने जरिये टेलीफोन मन उपअधीक्षक पुलिस को बताया कि परिवादी की आरोपियों से रिश्वत राशि की मांग के सम्बन्ध में वार्ता हो गई है। जिस पर कानि0 को परिवादी एवं सहपरिवादी के साथ पूर्व निर्धारित स्थान आरजिया तिराहे पर आने की हिदायत दे मन उपअधीक्षक पुलिस मय जाप्ता सरकारी वाहन से रवाना आरजिया तिराहे को हुआ। समय 05.15 पीएम पर कानि0 श्री अर्जुन लाल परिवादी एवं सहपरिवादी के साथ प्राईवेट कार से आरजिया तिराहे के पास उपस्थित आये। कानि0 श्री अर्जुन ने बन्द हालत में डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मन उपअधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया। जिससे पूछताछ की गई तो कानि0 श्री अर्जुन ने बताया कि मैं परिवादी श्री श्रवणराम एवं सहपरिवादी श्री सकताराम के साथ उनकी प्राईवेट कार से आरजिया तिराहे से रवाना होकर पुलिस थाना बदनोर के पास पहुंचे जहा मैंने परिवादी श्री श्रवण राम को डिजिटल वायस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द किया । परिवादी एवं सहपरिवादी श्री सकताराम को आरोपियों से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने के लिये पुलिस थाना बदनोर के अन्दर भेजा। मैं पुलिस थाने के बाहर कार में ही बैठा रहकर थाने में होने वाली गतिविधियों पर निगरानी रखने लगा। कुछ समय बाद परिवादी एवं सहपरिवादी एक व्यक्ति के साथ पुलिस थाना बदनोर से बाहर आते दिखाई दिये जो थाने के बाहर एक चाय की थडी पर जाकर बैठ गए एवं आपस में बातें करते दिखाई दिये। परिवादी एवं सहपरिवादी चाय की थडी से उठकर वापस अपनी कार में आकर बैठ गये। परिवादी ने चालू डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुझे सुपुर्द किया जिसे मैंने बन्द करके सुरक्षित अपने पास रख लिया। परिवादी ने पूछने पर मुझे बताया कि वह सहपरिवादी श्री सकताराम के साथ मय डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड लेकर कार से उतरकर पुलिस थाना बदनोर के अन्दर गये। पुलिस थाने में थानाधिकारी श्री नारायण सिंह से उनके आफिस में जाकर मिले। श्री नारायण सिंह ने केस के बारे में बातचीत की तथा रिश्वत राशि के सम्बन्ध में कानि0 श्री अशोक विश्नोई से बात करने का कहकर कानि0 श्री अशोक बिश्नोई को फोन करके अपने आफिस में बुला लिया। श्री अशोक कानि0 के आने पर मुझे और सकताराम को थानाधिकारी श्री नारायण सिंह ने अपने आफिस के बाहर भेज दिया। थोडी देर बाद कानि0 श्री अशोक बिश्नोई थानाधिकारी के आफिस के बाहर आया और मुझे व सकताराम को अपने साथ चलने का कहकर थाने के बाहर आये। हम कानि0 श्री अशोक विश्नोई के साथ पुलिस थाने से बाहर आकर एक चाय की थडी पर बैठ गये जहा श्री अशोक विश्नोई ने हमें बताया कि थानाधिकारी श्री नारायण सिंह ने एन0डी0पी0एस0 के दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार हुए मेरे भतीजे

रामपाल को जे0सी0 करा देने तथा अन्य नामजद मुल्जिम मेरे भाई पप्पूराम को पुलिस थाना पर पेश कर देने पर उसके साथ कोई मारपीट नहीं करने व उसे जे0सी0 करा देने के बदले रिश्वत राशि के रूप में एक लाख पचास हजार रूपयों की मांग की है। हमने इतने रूपयों की व्यवस्था नहीं होने का कहा तो श्री अशोक विश्नोई कुल एक लाख रूपये लेने पर राजी हुआ। मैंने उसी समय चालीस हजार रूपये रिश्वत राशि अपने पास से निकाल कर कानि0 श्री अशोक विश्नोई को दे दिये जो श्री अशोक बिश्नोई ने अपने पहने हुए कोट की जेब में रख लिये। रिश्वत राशि के बाकी साठ हजार रूपये देने के लिये कानि0 श्री अशोक विश्नोई ने कल दोपहर दो बजे तक का समय दिया है। यह सारी बातचीत डिजिटल वायस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हो गई है। सहपरिवादी ने भी पूछने पर परिवादी के कहे कथनों की ताईद की। मैंने डिजिटल वायस रिकार्डर को चला कर उसमें दर्ज रिकार्ड वार्ता को सुना तो रिकार्डर में दर्ज वार्ता से आरोपी कानि0 श्री अशोक विश्नोई द्वारा थानाधिकारी श्री नारायण सिंह के कहे अनुसार परिवादी से वार्ता कर एन0डी0पी0एस0 के मुकदमे में गिरफ्तार हुए परिवादी के भतीजे रामपाल को जे0सी0 करा देने तथा अन्य नामजद मुल्जिम परिवादी के भाई पप्पूराम को पुलिस थाना पर पेश कर देने पर उसके साथ भी कोई मारपीट नहीं करने व उसे भी जे0सी0 करा देने के बदले रिश्वत राशि के रूप में एक लाख रूपये की रिश्वत राशि देना तय करके मौके पर ही रिश्वत के चालीस हजार रूपये आरोपी कानि0 श्री अशोक विश्नोई द्वारा लेना एवं शेष रिश्वत राशि साठ हजार रूपये कल दोपहर दो बजे तक देने सम्बन्धी वार्ता रिकार्ड होने की ताईद हुई है।" इस पर मौके पर मौजूद परिवादी श्री श्रवण राम एवं सहपरिवादी श्री सकताराम से बारी-बारी से पूछताछ की गई तो कानि0 श्री अर्जुनराम के बताए उपरोक्त कथनों की ताईद की। कानि0 श्री अर्जुन राम द्वारा सुपुर्द किये डिजिटल वायस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हुई वार्ता को वाइस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो परिवादी एवं सहपरिवादी के कथनानुसार आरोपी कानि0 श्री अशोक विश्नोई द्वारा थानाधिकारी श्री नारायण सिंह के कहे अनुसार परिवादी से वार्ता कर एन0डी0पी0एस0 के मुकदमे में गिरफ्तार हुए परिवादी के भतीजे रामपाल को जे0सी0 करा देने तथा अन्य नामजद मुल्जिम परिवादी के भाई पप्पूराम को पुलिस थाना पर पेश कर देने पर उसके साथ भी कोई मारपीट नहीं करने व उसे भी जे0सी0 करा देने के बदले रिश्वत राशि के रूप में एक लाख पचास हजार रूपयों की मांग करना एवं परिवादी द्वारा इतने रूपयों की व्यवस्था नहीं हो पाने का कहने पर एक लाख रूपये की रिश्वत राशि देना तय करके मौके पर ही रिश्वत के चालीस हजार रूपये आरोपी कानि0 श्री अशोक विश्नोई द्वारा लेना एवं शेष रिश्वत राशि साठ हजार रूपये कल दोपहर दो बजे तक देने सम्बन्धी वार्ता रिकार्ड होने की ताईद हुई। डिजिटल वायस रिकार्डर में से रिश्वत राशि मांग सम्बन्धी दर्ज वार्ता का मैमोरी कार्ड निकाल कर मन उपअधीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा। आईन्दा दोनों मैमोरी कार्ड में दर्ज वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कराई जाएगी। मन उपअधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय परिवादी श्री श्रवणराम, सहपरिवादी श्री सकताराम मय प्रस्तुत की गई लिखित रिपोर्ट, रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन की दोनों वार्ताओं के मैमोरी कार्ड, डिजिटल वायस रिकार्डर, लैपटाप व चार्जर के साथ सरकारी वाहन बोलेरो से आरजिया तिराहे से भ्र0नि0ब्यूरो0, स्पेशल यूनिट चोकी अजमेर की ओर रवाना हुआ। सम्पूर्ण हालात श्रीमति वन्दना भाटी अ0पु0अ0 को जरिये मोबाईल निवेदन किये। समय 07.00 पी0एम पर मन उपअधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय परिवादी श्री श्रवणराम,सहपरिवादी श्री सकताराम परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित रिपोर्ट, रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन की दोनों वार्ताओं के मैमोरी कार्ड, डिजिटल वायस रिकार्डर, लैपटाप व चार्जर के साथ सरकारी वाहन बोलेरो से आरजिया तिराहे से रवाना होकर भ्र0नि0ब्यूरो0, स्पेशल यूनिट चोकी अजमेर पहुंचा। रिश्वत राशि मांग सत्यापन सम्बन्धी दोनों मूल मैमोरी कार्ड को मन् उप अधीक्षक पुलिस की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। डिजीटल वायस रिकार्डर लैपटाप एवं चार्जर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री श्रवणराम एवं सहपरिवादी श्री सकताराम को आरोपियों को दी जाने वाली शेष रिश्वत राशि साठ हजार रूपयों की व्यवस्था कर सुबह चोकी पर उपस्थित आने एवं गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत मुनासिब देकर चोकी से रूखसत किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय के स्टाफ को भी आवश्यक हिदायत प्रदान की गई। आईन्दा परिवादी व आरोपी के रिश्वत के रूप में दी जाने वाली शेष रिश्वत राशि साठ हजार रूपयों के साथ उपस्थित आने पर गवाहान की तलबी की जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट वार्ता एवं अग्रिम ट्रैप कार्यवाही सम्पादित की जावेगी। दिनांक 23.12.2024 समय 10.05 ए0एम0 पर परिवादी श्री श्रवणराम एवं सहपरिवादी श्री सकताराम कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। परिवादी ने मन उपअधीक्षक पुलिस को बताया कि उन्होंने काफी प्रयास किये लेकिन थाना बदनोर पर कानि0 श्री अशोक बिश्नोई एवं थानाधिकारी श्री नारायण सिंह से हुई वार्ता के अनुसार उनके द्वारा मांगी गई एक लाख रूपये रिश्वत राशि के शेष बचे साठ हजार रूपयों की राशि में से मात्र पांच हजार रूपयों की ही अभी व्यवस्था हो पाई है। आज मेरे भतीजे की राजसमन्द में जमानत की कार्यवाही भी करनी है। हमें कानि0 श्री अशोक बिश्नोई को आज ही बाकी की रिश्वत राशि देने की बात हो रखी है। यदि आज उसे रिश्वत के बाकी साठ हजार रूपये नहीं दिये तो वह बाद में हम पर विश्वास नहीं करेगा और ना हि फिर हमसे पैसों की कोई बात या लेन देन करेगा। कार्यालय पर मौजूद श्रीमति वन्दना भाटी अ0पु0अ0 से परिवादी श्री श्रवणराम एवं सह परिवादी श्री सकताराम की वार्ता कराई गई। श्रीमति वन्दना भाटी अ0पु0अ0 ने परिवादी एवं सह परिवादी से हुई वार्ता के अनुसार शेष पचपन हजार रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं हो पाने से परिवादी को डमी नोटों की व्यवस्था करके पेश करने के निर्देश दिये। माफिक निर्देश परिवादी श्री श्रवण राम एवं सहपरिवादी श्री सकताराम को हिदायत मुनासिब देकर चोकी से रूखसत किया गया।

समय 01.20 पीएम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु कार्यालय के श्री अर्जुन कानि0 को दो स्वतन्त्र गवाहान की तलबी किये जाने हेतु खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग अजमेर के नाम पत्र जारी कर सरकारी वाहन बोलेरो से रवाना किया गया। समय 2.10 पी.0एम0 पर कार्यालय के श्री अर्जुन राम कानि0 दो स्वतन्त्र गवाहान के साथ कार्यालय में उपस्थित आये एवं गवाहान तलबी बाबत जारी पत्र की रिसीव्ड प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई। उपस्थित गवाहान को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना नाम (1) श्री महेश कुमार पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति बुनकर उम्र 35 वर्ष निवासी 26, हर्ष विहार, घूघरा घाटी, जयपुर रोड, अजमेर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग अजमेर मोबाईल नं0 [redacted] (2) श्री लेखराज टांक पुत्र श्री रूप चन्द टांक जाति माली उम्र 46 वर्ष निवासी मकान ने0 148, शिव कालोनी, नया घर, गुलाब बाडी,जिला अजमेर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग अजमेर मोबाईल नं0 [redacted] होना अवगत कराया। उपस्थित गवाहान को ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि गोपनीय कार्यवाही की प्रक्रिया हेतु आपकी स्वतन्त्र गवाहान के रूप में आवश्यकता है। उपस्थित गवाहान ने गोपनीय कार्यवाही के दौरान स्वतन्त्र मौतबिर बनने की मौखिक स्वीकृति प्रदान की। गवाहान को चोकी कार्यालय में ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। समय 02.30 पी0एम0 पर परिवादी श्री श्रवणराम एवं सह परिवादी श्री सकताराम चोकी हाजा पर उपस्थित आये एवं परिवादी श्री श्रवण राम ने बताया कि उसने पांच पांच सौ रूपयों के अस्सी डमी नोटों (चालीस हजार रूपये) एवं पांच सौ पांच सौ रूपये की प्रचलित भारतीय मुद्रा के दस नोटों (पांच हजार रूपये) की व्यवस्था कर ली है। इन पैतालीस हजार रूपयों को कानि0 श्री अशोक बिश्नोई को शेष रिश्वत राशि के रूप में देकर ट्रेप कार्यवाही की जा सकती है जिस पर श्रीमति वन्दना भाटी अ0पु0अ0 को हालात निवेदन किये गये। समय 04.00 पीएम पर परिवादी श्री श्रवण राम एवं सहपरिवादी श्री सकताराम का तलबशुदा गवाहान श्री महेश कुमार वरिष्ठ सहायक एवं श्री लेखराज टांक वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग अजमेर का आपस में एक दूसरे से परिचय करवाया गया। उपस्थित स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मांग सत्यापन के समय दर्ज की गयी वार्ताओं के मूल मैमोरी कार्ड निकाल कर अग्रिम ट्रेप की कार्यवाही के बारे मे अवगत कराया। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गवाहान को पढाया गया एवं मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताओं के अंशों को मैमोरी कार्ड को डिजिटल वायस रिकार्डर में संधारित कर सुनाया गया। गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र पढकर एवं रिकार्ड की गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं को सुनकर अंकित तथ्यों व संलग्न दस्तावेजों के बारे में परिवादी से पूछताछ कर गवाहान ने स्वेच्छा से अपनी सन्तुष्टि जाहिर करते हुए अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के दौरान स्वतन्त्र गवाह बनने की मौखिक सहमति दी। मन् उप अधीक्षक पुलिस राकेश कुमार के द्वारा परिवादी श्री श्रवणराम पुत्र जगमाल राम जाति विश्नोई उम्र 37 साल निवासी डावरा तहसील बावडी थाना खेडापा जिला जोधपुर को रिश्वत में दी जाने वाली शेष राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के प्रचलित भारतीय मुद्रा के 10 नोट कुल पांच हजार रूपये एवं 500-500 रूपये के 80 डमी नोट कुल 40,000 रू0 इस तरह शेष रिश्वत राशि के रूप में आरोपीयान को दिये जाने के लिये कुल 45,000 रू0 (पैंतालीस हजार रूपये) प्रस्तुत किए। प्रस्तुतशुदा प्रचलित भारतीय मुद्रा के दस नोटों के नम्बर फर्द मे अंकित किये गये। प्रस्तुतशुदा डमी करेन्सी के 500-500 के प्रत्येक नोट पर एक ओर भारतीय मनोरंजन बैंक पांच सौ कूपन, अंग्रेजी में चिल्ड्रन बैंक आफ इण्डिया फुल आफ फन लिखा होकर महात्मा गांधी का चित्र व अंको में 500 अंकित है तथा दूसरी तरफ लाल किले का चित्र छपा है। उक्त सभी अस्सी डमी नोट देखने में प्रचलित भारतीय मुद्रा के हूबहू नजर आते हैं। उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री तुलछाराम हैड कानि भ्रनिब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर से कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखे फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को निकलवाया गया तथा उपरोक्त समस्त 45,000/- रूपये (पैतालीस हजार रूपये) की रिश्वत राशि को एक अखबार पर सभी नोटों को रख कर नोटों के दोनों ओर श्री तुलछाराम हैड कानि से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। रिश्वत राशि परिवादी श्री श्रवणराम को सुपुर्द करने से पूर्व उनके शरीर पर पहने हुये कपडो की तलाशी गवाह श्री महेश कुमार से लिवाई गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। परिवादी श्री श्रवणराम को फिनोफ्थलीन पाउडर लगी रिश्वत राशि आरोपी श्री अशोक बिश्नोई कानि0 पुलिस थाना बदनोर को दिये जाने हेतु श्री तुलछाराम हैड कानि से रिश्वत राशि के उपरोक्तानुसार कुल 45,000/- रूपये के नोट परिवादी की पहनी हुए पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवाये गए। इसके बाद प्रक्रियानुसार एक प्लास्टिक के साफ पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त प्लास्टिक के साफ पारदर्शी गिलास के घोल में श्री तुलछाराम हैड कानि के एक हाथ की अंगुलियों व अगूठें को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार दृष्टान्त देकर परिवादी, सहपरिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान को फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की उपयोगिता एवं उसके रासायनिक महत्व से अवगत कराते हुए बताया कि यदि परिवादी श्री श्रवणराम से आरोपीगण श्री अशोक बिश्नोई कानि0 अथवा श्री नारायण सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना बदनोर द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त कर ली जाती है, तो इसी प्रकार की रसायनिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके बाद उक्त गुलाबी घोल को श्री तुलछाराम हैड कानि से कार्यालय से बाहर

फिकवाया गया तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार व प्लास्टिक के साफ पारदर्शी गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। श्री तुलछाराम हैड कानि के हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी श्री श्रवणराम को हिदायत दी गई कि वह श्री अशोक बिश्नोई कानि0 अथवा श्री नारायण सिंह थानाधिकारी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनसे हाथ नहीं मिलावे तथा अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी या घबराहट का प्रदर्शन नहीं करे। रिश्वती राशि देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर अथवा अपने मोबाईल से मन उप अधीक्षक पुलिस को मिस काल करके ईशारा करे ताकि ट्रेप पार्टी समझ जावें कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण कर ली गई है। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशिया, प्लास्टिक के साफ पारदर्शी गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी को भी ट्रेप बाक्स में रखवाया गया। वक्त रिश्वत राशि लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु परिवादी श्री श्रवणराम को कार्यालय का डिजीटल वायस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड संधारित कर डिजिटल वायस रिकार्डर को आपरेट करने की समझाईश कर सुपुर्द किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखा गया। समय 05.15 पीएम पर श्री रूपसिंह उपअधीक्षक भ्र0नि0ब्यूरो, चोकी अजमेर मय जाप्ता श्री रविन्द्र सिंह कानि. 308, के उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार एसीबी चोकी स्पेशल यूनिट अजमेर पर उपस्थित आये। समय करीब 06.10 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्टाफ सर्व श्री रूप सिंह उप अधीक्षक पुलिस, श्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक, श्री कन्हैया लाल सउनि, श्री लखन कानि, श्री अजीत सिंह कानि, श्री रविन्द्र कानि, श्री संदेश कनिष्ठ सहायक मय हमराहीयान स्वतन्त्र गवाहान, विडियो ग्राफर श्री देवेन्द्र कुमार फतनानी के मय सरकारी वाहन व प्राइवेट वाहनो मय ट्रेप बाक्स, लैपटोप, प्रिन्टर के तथा परिवादी श्री श्रवण राम, सहपरिवादी सकताराम मय श्री अर्जुन लाल कानि, मय डिजीटल वायस रिकार्डर मय इश्यूशुदा नये मैमोरी कार्ड के परिवादी के स्वयं के निजी वाहन आरजे 19 सीएम 8809 के कार्यालय एसीबी स्पेशल यूनिट अजमेर से रवाना होकर ग्राम ओझियाना ब्यावर भीलवाडा मार्ग बदनौर से थोडी दूर पहले पहुंचे। जहां परिवादी श्री श्रवणराम को आरोपी श्री अशोक विश्नोई कानि. पुलिस थाना बदनौर जिला ब्यावर से रिश्वत राशि लेनदेन के संबंध मे वार्ता करने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर परिवादी श्री श्रवण राम ने बताया कि मैं अशोक विश्नोई कानि. के मोबाईल पर वार्ता कर रिश्वत राशि लेनदेन के संबंध मे पूछता हूं। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने वाहनो व स्टाफ को एक तरफ खडा कर मुख्य सडक मार्ग ब्यावर भीलवाडा पर परिवादी के निजी वाहन मे बैठकर परिवादी श्री श्रवण राम के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री अशोक विश्नोई के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मोबाईल का स्पीकर आन कर वार्ता करवाई गई। की गई वार्ता के अनुसार श्री अशोक विश्नोई ने स्वयं को औझियाना बालाजी के मन्दिर के पास आना अवगत कराया। आरोपी व परिवादी के मध्य की गई उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वायस रिकार्डर को चालू कर मोबाईल का स्पीकर आन करवाकर उक्त वार्ता दर्ज करवाई गई। दर्ज वार्ता को सुने जाने पर आरोपी श्री अशोक विश्नोई ने रिश्वत राशि लेने हेतु स्वयं को औझियाना बालाजी के मन्दिर के पास आने की ताईद हुई। उक्त वार्ता की अलग से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की जावेगी। दर्ज की गई वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड मय वायस रिकार्डर कानि. अर्जुन लाल के पास सुरक्षित रखवाई गई। परिवादी व सहपरिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रिश्वत राशि देने हेतु मय डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालू कर औझियाना बालाजी के मन्दिर के पास मुख्य ब्यावर भीलवाडा मार्ग पर उसकी गाडी मे ही छोडा गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिय मय हमराहीयान गवाहान व स्टाफ के परिवादी के निर्धारित इशारे के इन्तजार मे अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुए अपने वाहनो मे मुकिम रहे। समय करीब 8.22 पीएम के आसपास परिवादी व सहपरिवादी के वाहन के पास मे एक वाहन संख्या आरजे 27 सीजे 9848 ईको कार आई जिसमे से एक व्यक्ति बाहर निकल कर परिवादी के वाहन के पास पहुंचा तथा उनसे वार्ता करते हुए उनके वाहन मे ही बैठ गया। थोडी देर बाद समय करीब 8.25 पीएम के आस पास सहपरिवादी श्री सकताराम ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को सडक के दूसरी और देखते हुए पूर्व निर्धारित इशारा अपने मोबाईल फोन से मिस्ड काल कर किया। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्टाफ मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय फोटोग्राफर के परिवादी व सहपरिवादी के वाहन के पास बालाजी के मन्दिर के पास पहुंचे जहां उपस्थित परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को डिजीटल वायस रिकार्डर निकाल कर पेश किया जिसे मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा चालू हालत मे प्राप्त कर बन्द किया गया। परिवादी श्री श्रवणराम ने बताया कि आरोपी श्री अशोक कुमार विश्नोई कानिस्टेबल पुलिस थाना बदनौर जिला ब्यावर ने मेरे से रिश्वत राशि रूपये के बारे मे बातचीत कर स्वयं के आने हेतु कहा था परन्तु स्वयं नही आकर उसने अपने परिचित व्यक्ति को मेरे से रूपये प्राप्त करने हेतु भिजवाया है जो मेरी गाडी के अन्दर ही बैठा हुआ है जिसने अभी अभी मेरे से अशोक कुमार विश्नोई से वार्ता करवाकर 45000 रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखी है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी के बताये गये कथनो के अनुसार उसकी गाडी मे बैठे हुए व्यक्ति की और इशारा कर बताया कि यही व्यक्ति श्री अशोक कुमार विश्नोई के कहे अनुसार मेरे पास आये है तथा मेरे से 45000 रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त की है। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहीयान स्टाफ, गवाहान का परिचय देकर आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो उसने

अपना नाम श्री कैलाश गुर्जर पुत्र श्री शम्भुलाल गुर्जर उम्र 24 साल निवासी करणीपुरा ग्राम पंचायत चतरपुरा पुलिस थाना बदनौर जिला ब्यावर होना अवगत कराया। जिस पर श्री कैलाश गुर्जर को परिवादी श्री श्रवणराम से प्राप्त की गई 45000 रूपये की रिश्वत राशि के संबंध मे पूछा तो आरोपी चुप रहा तथा कुछ नही बोला। श्री कैलाश गुर्जर को पुनः समझाईश कर रिश्वत राशि के संबंध मे पूछताछ की गई तो उसने अपने स्पष्टीकरण मे बताया कि मैने किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि नही ली है, यह झूठ बोल रहा है, इसने जो रूपये दिये है वह मैने पुलिस थाना बदनौर मे पदस्थापित श्री अशोक कुमार विश्नोई कानि. के कहे अनुसार प्राप्त किये है। मेरा उक्त रूपयो से किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है तथा मैं उक्त दोनो व्यक्तियो को भी नही जानता हूं। मेरा पहले इनसे कोई परिचय नही है। मैने तो उक्त रूपये श्री अशोक कुमार कानि. के कहे अनुसार ही प्राप्त किये हैं। अभी थोडी देर पहले समय करीब 8.11 पीएम के आस पास श्री अशोक कुमार विश्नोई ने मेरे से वार्ता की तथा मेरे को कहा कि औझियाना बालाजी के मन्दिर के पास ब्यावर भीलवाडा मार्ग पर एक आरजे 19 नम्बर की स्वीफट गाडी खडी है जिसमे दो व्यक्ति बैठे हुए मिलेंगे जिनसे रूपये लेकर मुझे सुबह पहुंचा देना। उनके कहे अनुसार ही मैने उक्त रूपये प्राप्त कर मेरी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखे। इस पर पास ही उपस्थित परिवादी व सहपरिवादी ने श्री कैलाश गुर्जर की वार्ता को सुनकर बताया कि यह व्यक्ति सही कह रहा है हमने भी इसको पहले कभी नही देखा एवं ना ही पहले कभी मिले है। इसने हमारे से श्री अशोक कुमार विश्नोई कानि से अपनी मोबाईल फोन से जरिये व्हाटसअप काल वार्ता करवाई। श्री अशोक विश्नोई कानि. के कहे अनुसार ही हमने श्री कैलाश गुर्जर को उक्त रूपये दिये हैं। रूपये देने के पश्चात सहपरिवादी श्री सकताराम ने गाडी से बाहर आकर ईशारा करना अवगत कराया इस पर उपस्थित श्री कैलाश गुर्जर से रूपये के संबंध मे पूछताछ की गई तो उसने अशोक कुमार विश्नोई कानि. पुलिस थाना बदनौर के कहे अनुसार उक्त रिश्वत राशि लेना स्वीकार किया। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री कैलाश गुर्जर को आरोपी श्री अशोक कुमार विश्नोई कानि. से उक्त रूपयो के संबंध मे वार्ता करने हेतु कहा गया तो श्री कैलाश गुर्जर ने स्वतः ही बताया कि श्री अशोक कुमार विश्नोई मेरे से जरिये व्हाटसअप काल वार्ता करता है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री कैलाश गुर्जर के मोबाईल से आरोपी श्री अशोक कुमार विश्नोई के मोबाईल नमबर [redacted] पर जरिये व्हाटसअप काॅल वार्ता करवानी चाही परन्तु आरोपी ने अपना मोबाईल फोन रिसीव नही किया तत्पश्चात पुनः आरोपी के मोबाईल पर साधारण काॅल करवाई गई तो आरोपी श्री अशोक कुमार विश्नोई का मोबाईल फोन स्वीच आॅफ होना अवगत हुआ। इस पर श्री कैलाश गुर्जर से आरोपी श्री अशोक विश्नोई कानि. के मकान के बारे मे जानकारी चाही गई तो उसने बताया कि मैं अशोक विश्नोई के निवास स्थान के बारे मे जानकारी नही रखता हू। श्री कैलाश गुर्जर से अपने साथ प्रयोग मे लाई गई गाडी के संबंध मे पूछताछ की तो उसने बताया कि श्री हीरालाल निवासी बार जिला ब्यावर मेरा परिचित है जो थोडी देर पहले मेरे पास किसी काम से आया था उसी समय हीरालाल भी अपनी गाडी सहित मेरे पास ही खडे थे। जिस पर मैने हीरालाल को औझियाना बालाजी के मन्दिर के पास चलने हेतु कहा था जिस पर श्री हीरालाल मेरे साथ आया है उसको रूपयो के संबंध मे कोई जानकारी नही है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के श्री कैलाश गुर्जर के दाहीने व बाये हाथ को पोचो के उपर से कार्यालय के श्री अजीत सिंह कानि. व श्री संदेश कुमार कनिष्ठ लिपिक से पकडवाये जाकर गाडी मे बैठाया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्टाफ के श्री कैलाश गुर्जर के बताये अनुसार उसके द्वारा प्रयोग मे लाई गई गाडी के पास पहुंचे तो गाडी मे ड्राईवर सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला जिसे मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना व हमराहीयान स्टाफ, गवाहान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री हीरालाल पुत्र श्री उगमा राम जाति बलाई उम्र 30 साल निवासी बार जिला ब्यावर होना अवगत कराया। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम मे श्री हीरालाल से श्री कैलाश गुर्जर के द्वारा परिवादी व सहपरिवादी से ली गई रिश्वत राशि के संबंध मे पूछताछ की गई तो श्री हीरालाल ने बताया कि मुझे श्री कैलाश गुर्जर के द्वारा ली गई रिश्वत राशि के संबंध मे कोई जानकारी नही है। मैं थोडी देर पहले बार चैराहा स्थित होटल के पास अपनी गाडी सहित खडा था तो मेरे पास कैलाश गुर्जर आये तथा उन्होने कहा कि मेरे को किसी काम से औझियाना बालाजी मन्दिर के पास जाकर आना है। जिस पर मैं श्री कैलाश गुर्जर को अपनी गाडी मे बैठाकर लेकर आया हूं। कैलाश गुर्जर किस काम से किसके पास आये है मुझे इसके बारे मे कोई जानकारी नही है। मैं गाडी चलाकर अपना जीवन यापन करता हूं तथा उक्त गाडी मेरी स्वयं की है जो मैने दो महीने पहले ही खरीद की है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री कैलाश गुर्जर के द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त होने की पूर्ण ताईद होने के उपरान्त अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु आरोपी श्री नारायण सिंह खिडिया उप निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना बदनौर व श्री अशोक कुमार विश्नोई कानि. को दस्तयाब किया जाना है। जिस बाबत् श्री कैलाश गुर्जर के दोनो हाथो को पकडे पकडे ही गाडी मे बैठाकर मय हमराहीयान स्टाफ, गवाहान मय फोटोग्राफर, श्री हीरालाल के पुलिस थाना बदनौर के लिये रवाना हुआ। समय करीब 9.15 पीएम के आस पास मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्टाफ,गवाहान,फोटोग्राफर, दस्तयाबशुदा श्री कैलाश गुर्जर व श्री हीरालाल मय वाहन के पुलिस थाना बदनौर पर पहुंचा जहां उपस्थित श्री इन्द्रजीत सिंह, सहायक उप निरीक्षक उपस्थित मिले जिन्हे मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना व हमराहीयान का परिचय दिया जाकर उनका परिचय लेते हुए थानाधिकारी श्री नारायण सिंह व कानि. अशोक कुमार विश्नोई के बारे मे जानकारी चाही गई तो उन्होने बताया कि थानाधिकारी व अशोक कुमार राजकार्य से अभी थोडी देर पहले ही अपनी रवानगी करवाकर अनुसंधान हेतु बाहर जाना

अवगत कराया। इस पर श्री इन्द्रजीत सिंह को थानाधिकारी के बारे मे पुनः पूछताछ की तो उन्होने थाने के रोजनामचा आम को देखकर अवगत कराया कि समय 08.34 पीएम दिनांक 23.12.24 को रपट संख्या 33 पर प्रकरण संख्या 111/24 व 123/24 थाना बार मे आरोपियो की तलाश व अनुसंधान हेतु नीमच की तरफ गये हुए जाना अवगत कराया है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा थाना हाजा के अन्य स्टाफ से थानाधिकारी व अशोक कुमार कानि. के संबंध मे पूछताछ की गई तो जरिये सूत्र ज्ञात हुआ कि उनको ट्रेप कार्यवाही की भनक हो जाने की वजह से अपनी रवानगी करवाकर फरार हो चुके है। थानाधिकारी श्री नारायण सिंह खिडिया व अशोक कुमार विश्नोई कानि. के निवास स्थान के बारे मे जानकारी ली गई तो श्री नारायण सिंह खिडिया उप निरीक्षक के सरकारी निवास स्थान पर ताला लगा हुआ मिला जिसे गवाहान की उपस्थिति मे कार्यालय की मोहर से सिलचिट किया गया जिसकी आईन्दा खाना तलाशी ली जाकर शामिल कार्यवाही की जावेंगी। श्री अशोक कुमार विश्नोई के निवास स्थान के बारे मे जानकारी चाही तो थाना हाजा के पास ही श्री बिहारी लाल खटीक के मकान मे निवास करना अवगत कराया इस पर श्री कैलाश गुर्जर को पुलिस थाने मे ही जाब्ते के साथ छोडकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान गवाहान के श्री अशोक कुमार विश्नोई के निवास स्थान की ओर श्री इन्द्रजीत सिंह उप निरीक्षक के रवाना हुए। श्री इन्द्रजीत सिंह सहायक उप निरीक्षक के बताये अनुसार श्री अशोक कुमार कानि. के निवास स्थान कस्बा बदनौर किराये के कमरे पर पहुंचे जहां उक्त मकान के मुख्य दरवाजे की बेल बजाकर श्री अशोक कुमार के बारे मे जानकारी चाही तो उक्त कमरा अन्दर से बन्द मिला। आवाज दी जाने पर अन्दर से एक महिला ने दरवाजा बन्द कर बाहर आने से इन्कार कर दिया। इस पर श्री इन्द्रजीत सिंह सहायक उप निरीक्षक को थाना हाजा पर पदस्थापित महिला कानि. व स्टाफ को तलब करने हेतु कहा गया। थोडी देर बाद बदनौर थाने के सरकारी वाहन मे एक महिला कानि. व दो कानि. इमदाद मे उपस्थित आये। उपस्थित महिला कानि. श्रीमती इन्द्रा देवी को उक्त महिला से वार्ता करने हेतु कहा गया तो इन्द्रा ने महिला को आवश्यक समझाईश कर दरवाजा खोलने के लिये निवेदन किया जिस पर उपस्थित महिला ने अपना दरवाजा खोला। उक्त महिला को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना व हमराहीयान स्टाफ, गवहान व फोटोग्राफर का परिचय दिया जाकर की जाने वाली कार्यवाही के बारे मे अवगत कराते हुए श्री अशोक कुमार कानि. के बारे मे जानकारी चाही तो उक्त महिला ने अपना नाम सरिता खीचड पत्नि श्री अशोक कुमार उम्र 30 साल निवासी ढाको की ढाणी फतेहसागर पीलवा पुलिस थाना व तहसील लोहावट जिला फलौदी होना अवगत कराया तथा अपने पति अशोक कुमार को दोपहर 02.00 बजे से ही पुलिस थाने मे ड्युटी हेतु जाने से अवगत कराया। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त निवास स्थान की तलाशी ली जाने हेतु कहा गया तो श्रीमती सरिता खीचड ने अपने दो बच्चो एवं पति के साथ निवास करना अवगत कराते हुए उक्त स्थान की तलाशी लेने की सहमति जाहिर की। इस पर स्त्री लज्जा का पूर्ण घ्यान रखते हुए महिला कानि की उपस्थिति मे आरोपी श्री अशोक कुमार विश्नोई के निवास स्थान किराये के कमरे की तलाशी ली गई तो तलाशी मे उक्त कमरे मे 02 चारपाई लोहे की, इस्तेमाली बिस्तर तथा एक दीवार मे बनी आलमारी मे स्त्री व पुरूष के इस्तेमाली कपडे, एक सिलाई मशीन तथा दूसरे छोटे कमरे मे अपने खाने पीने के सामान व बर्तन पाये गये। तलाशी के दौराने किसी प्रकार की कोई नगद राशि, जेवरात नही होना पाये गये। खाना तलाशी मे पाये गये सामान मात्र घरेलू उपयोग एवं सामान्य जीवन यापन होने से संबंधित पाये गये है। अतः उक्त मकान की खाना तलाशी मोटे मोटे रूप से ली जाकर फर्द मे अंकन किया गया है। बाद खाना तलाशी आरोपी श्री अशोक कुमार के उपस्थित नही मिलने पर आरोपीगणो की तलाश हेतु श्री रूप सिंह उप अधीक्षक पुलिस को कस्बा बदनौर की और रवाना किया गया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्टाफ व गवाहान के पुलिस थाना बदनौर पर पहुंचे। उपस्थित श्री इन्द्रजीत सिंह सहायक उप निरीक्षक को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्पादित की जाने हेतु कक्ष की व्यवस्था के लिये निर्देश दिये गये। श्री इन्द्रजीत सिंह द्वारा थाना हाजा के थानाधिकारी कक्ष मे बैठकर कार्यवाही की जाने हेतु कक्ष उपलबध करवाया गया। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की प्रकियानुसार पुलिस थाना बदनौर से एक साफ गिलास मे साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर ट्रेप बाक्स मे से दो पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास निकलवाये गये। उक्त पारदर्शी प्लास्टिक के दोनो गिलासो को साफ पानी से धुलवाया गया। दोनो पारदर्शी गिलासो मे आधा-आधा साफ पानी भरवाया जाकर गिलासो मे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया उक्त घोल को उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया। जिसमे अलग-अलग पारदर्शी प्लास्टिक के गिलासो के घोल में श्री कैलाश गुर्जर के दाहिने व बांये हाथ की अंगुलियो एवं अंगूठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने व बाए दोनो हाथो की अंगुलियो व अगुठे के धोवण का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे उपस्थितगणों ने गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शीशियो को साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो में आधा-आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयों में आधा-आधा भरकर चारों शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर दाहिने हाथ के धोवण को क्रमंशः मार्क आरएच 1, आरएच 2 एवं बांये हाथ के धोवण को क्रमशः मार्क एलएच 1 व एलएच 2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। पारदर्शी प्लास्टिक के गिलासो को नष्ट कराया गया। श्री रूप सिंह उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्टाफ के पुलिस थाना बदनौर पर उपस्थित हुए तथा आरोपीगणो का उनकी सकूनत से फरार होना अवगत कराया। श्री कैलाश गुर्जर की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे रिश्वत राशि रखी होने की ताईद होने पर स्वतन्त्र गवाहान श्री लेखराज टांक से श्री कैलाश गुर्जर की पहनी हुई पेन्ट की जेब की तलाशी लिवाई गई

तो श्री कैलाश गुर्जर की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब से 500-500 रूपये के नोटो का एक बण्डल निकाल कर पेश किया। उक्त नोटो को स्वतंत्र गवाह श्री महेश कुमार को सुपुर्द किये गये। उक्त बरामदशुदा नोटो को दोनों स्वतन्त्र गवाहान से पूर्व मे बनायी गई फर्द पेशकशी रिश्वत राशि से मिलान कराया गया तो 500-500 रूपये के प्रचलित भारतीय मुद्रा के 10 नोट कुल 5000 रूपये एवं 500-500 रूपये के 80 डमी नोट कुल 40,000 रूपये के नोट फर्द पेशकशी एवं सुपुदर्गी नोटो के अनुसार हुबहु होना पाये गये। बरामदशुदा 500-500 रूपये के प्रचलित भारतीय मुद्रा के 10 नोटों का विवरण इस प्रकार हैं- 1 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1सी एन 211108 2 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 डी सी 764951 3 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 सी एन 211144 4 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 यू एम 706263 5 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 बी के 376675 6 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 क्यू के 558952 7 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 एच वी 937451 8 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5जी सी 546811 9 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 एम एच 138198 10 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 सी एन 211101 उपरोक्त बरामदशुदा भारतीय प्रचलित मुद्रा के 10 नोट कुल 5000 रूपये एवं 500-500 रूपये के 80 डमी नोट कुल 40,000 रूपये के नोटो पर कपडे की चिट लगाकर चिट पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के तहत श्री कैलाश गुर्जर की जामा तलाशी श्री महेश कुमार गवाह से लिवायी गई तो श्री कैलाश गुर्जर के पहने हुए पेन्ट की सामने की बायीं जेब से एक मोबाईल फोन वीवो कम्पनी फनटच जिसमे दो सिमकार्ड लगे हुए है जिनमे एक सिमकार्ड एयरटेल कम्पनी [redacted] व दूसरी सिमकार्ड जीओ कम्पनी जिसके मोबाईल नम्बर [redacted] होना अवगत कराया। उक्त मोबाईल फोन के बारे मे श्री कैलाश गुर्जर से जानकारी ली गई तो उसने अवगत कराया कि अभी थोडी देर पहले ही मेरी उक्त मोबाईल फोन के सिम नम्बर [redacted] से जरिये व्हाटसअप काल आरोपी श्री अशोक कुमार विश्नोई से रिश्वत राशि लेनदेन के संबंध मे वार्ता की गई है। उक्त व्हाटस अप काॅल की डिटेल मेरे मोबाईल फोन मे दर्ज है। मोबाईल का निरीक्षण किया जाने पर कैलाश गुर्जर से आरोपी श्री अशोक कानि. के मोबाईल नम्बर दर्ज होने के संबंध मे पूछताछ की गई तो उसने अपने मोबाईल मे श्री अशोक जी पुलिस बदनौर के नाम से मोबाईल नम्बर [redacted] दर्ज होना अवगत कराया है। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री अशोक कुमार विश्नोई कानि. व श्री कैलाश गुर्जर के मध्य जरिये व्हाटसअप काॅल की गई वार्ताओ के स्क्रीन शाट प्राप्त कर सम्बन्धित गवाहानो के हस्ताक्षर करवाये जाकर स्क्रीन शाट प्रतियां शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही मे आरोपी श्री अशोक कुमार विश्नोई कानि. व श्री कैलाश गुर्जर के मध्य उक्त मोबाईल फोन से वार्ता की गई है अतः श्री कैलाश गुर्जर के उक्त मोबाईल फोन को कब्जे एसीबी लिया गया है। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की प्रकिया के अनुसार श्री कैलाश गुर्जर के दौराने ट्रेप कार्यवाही वरवक्त शरीर पर पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई हैं। उक्त पेन्ट की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक है अतः श्री कैलाश गुर्जर के लिये अन्य पेन्ट की व्यवस्था कर शरीर पर पहनी हुई पेन्ट को ससम्मान उतरवाया गया। पेन्ट की जेब का धोवन प्राप्त किये जाने हेतु रासायनिक प्रक्रिया अनुसार एक साफ गिलास मे साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर ट्रेप बाक्स मे से एक पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास निकलवाया गया। उक्त पारदर्शी प्लास्टिक गिलास को साफ पानी से धुलवाया गया। पारदर्शी गिलास मे आधा साफ पानी भरवाया जाकर गिलास मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया उक्त घोल को उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया। जिसमे पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास के घोल में श्री कैलाश गुर्जर की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब को उलटवाकर डुबोकर धुलवाया गया तो पेन्ट की दाहिनी जेब के धोवण का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे उपस्थितगणों ने गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात दो कांच की साफ शीशियो को साफ कर उनमे उक्त धोवण को आधा-आधा भरकर दोनो शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर क्रमंशः मार्क पी-1, पी-2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। पारदर्शी प्लास्टिक के गिलासो को नष्ट कराया गया तथा धोवन की पेन्ट की जेब को सुखाया जाकर उक्त जिन्स पेन्ट बरंग ब्ल्यू पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक कपडे की थैली मे रखकर सिलचिट कर मार्क पी से चिन्हित कर कब्जे एसीबी लिया गया। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की निरन्तरता मे थाना हाजा पर उपस्थित श्री इन्द्रजीत सिंह सहायक उप निरीक्षक से परिवादी श्री श्रवणराम व सहपरिवादी श्री सकताराम के भाई व भतीजे के विरूद् दर्ज प्रकरण संख्या 123/24 दिनांक 15.12.2024 की पत्रावली के संबंध मे पूछताछ की गई तो उपस्थित श्री इन्द्रजीत सिंह सहायक उप निरीक्षक ने अवगत कराया कि थानाधिकारी के अनुसंधान से संबंधित कार्य श्री बनवारी लाल कानि. द्वारा सम्पादित किया जाता है। श्री बनवारी लाल का मोबाईल फोन स्वीच आफ आ रहा है। इस पर थाना हाजा पर अनुसंधानाधीन पत्रावलीयो मे उक्त प्रकरण की पत्रावली की तलाश कर पेश करने हेतु निर्देशित किया गया तो श्री इन्द्रजीत सिंह ने कार्यालय हाजा के रिठेकार्ड को तलाश कर अवगत कराया कि थाना हाजा पर प्रकरण संख्या 123/24 की पत्रावली मौजूद नही है। उक्त पत्रावली के संबंध मे थानाधिकारी व श्री बनवारी लाल को ही जानकारी है। अतः प्रकरण से संबंधित उक्त पत्रावली दौराने अनुसंधान प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जावेगी। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री श्रवण कुमार को रिश्वत राशि लेनदेन के समय दर्ज की गई वार्ता दिनांक 23.12.2024 को आरोपी व परिवादी के मध्य जरिये व्हाटसअप काल दर्ज की गई वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वायस रिकार्डर मे मैमोरी कार्ड संधारित कर गवाहान व परिवादी के समक्ष सुनी गई तो परिवादी ने दर्ज आवाज मे से एक आवाज अपनी तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री अशोक कुमार विश्नोई कानि. तथा तीसरी

आवाज सहपरिवादी श्री सकताराम की होना स्वीकार किया। वक्त रिश्वत राशि लेन-देन के समय की गई वार्ताओ मे आरोपी श्री अशोक कुमार द्वारा वार्ता की जाना पाया गया है। आज दिनांक 23.12.2024 को दर्ज की गई वार्ताओं की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट आईन्दा तैयार कर शामिल पत्रावली की जावेंगी। बाद ट्रेप कार्यवाही सम्बन्धित घटना का नक्शा मौका घटनास्थल मध्य रात्री एवं अंधेरा होने की वजह से तैयार किये जाने मे असुविधा है अतः आईन्दा संबंधित स्थल का नक्शा मौका घटना स्थल तैयार कर शामिल कार्यवाही किया जावेगा। उपरोक्त तथ्यो एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही मे श्री कैलाश गुर्जर एवं श्री हीरालाल का रिश्वत राशि लेनदेन की कार्यवाही मे किसी प्रकार की कोई आपराधिक भूमिका नही होना पाई गई है। श्री कैलाश गुर्जर एवं श्री हीरालाल की रिश्वत राशि के संबंध मे किसी प्रकार की कोई संलिप्तता नही होकर अनभिज्ञता की वजह से आरोपी श्री अशोक कुमार विश्नोई कानि के कहे अनुसार एवं परिचित होने के नाते रिश्वत राशि प्राप्त की जाना पाई गई है। अतः श्री कैलाश गुर्जर व श्री हीरालाल को उक्त ट्रेप कार्यवाही मे किसी प्रकार की कोई भूमिका नही होने से आवश्यक हिदायत प्रदान कर आईन्दा अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर उपस्थित थाना हाजा के श्री इन्द्रजीत सिंह सहायक उप निरीक्षक को सुरक्षित रूप से सम्भलाया गया तथा थानाधिकारी के सिलचिटशुदा सरकारी निवास स्थान को सुरक्षार्थ श्री इन्द्रजीत सिंह सहायक उप निरीक्षक को सम्भलाया जाकर आवश्यक हिदायत प्रदान की गई कि भ्रनिब्यूरो द्वारा उक्त सिलचिटशुदा सरकारी आवास की नियमानुसार खाना तलाशी लिये जाने तक सुरक्षित रखना सुनिश्चित करे। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही मे जब्ती एवं की गई अन्य कार्यवाही के समय की तलविदा उपस्थित विडियो ग्राफर श्री देवेन्द्र कुमार फतनानी पुत्र श्री लीलाराम फतनानी जाति सिन्धी उम्र 49 साल निवासी शान्ति नगर मलुसर रोड पुलिस थाना क्लाक टावर जिला अजमेर मोबाईल नम्बर [redacted] से समस्त कार्यवाही की विडियोग्राफी करवाई गई जिसकी आईन्दा विडियोग्राफी की रिकार्डिंग प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की जावेगी। पुलिस थाना बदनौर से रवाना होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ, गवाहान व परिवादीगण के जब्तशुदा आर्टिकल सहित समय करीब 08-00 एएम दिनांक 24-12-24 को नक्शा मौका घटना स्थल तैयार किये जाने हेतु औझियाना बालाजी के मन्दिर पर पहुंचे जहां गवाहान की उपस्थिति मे परिवादीगण के समक्ष नक्शा मोका घटना स्थल अलग से तैयार कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बाद नक्शा मौका घटना स्थल के औझि०याना से रवाना होकर कार्यालय भ्र0नि0ब्यूरो, स्पेशल यूनिट अजमेर पहुचाA दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 22.12.2024 को परिवादी व सहपरिवादी एवं आरोपीगणो के मध्य रूबरू हुई वार्ता की रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट एवं दौराने रिश्वत राशि लेनदेने से पूर्व एवं लेनदेन के समय आरोपी व परिवादीगणो के मध्य दर्ज हुई वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जानी है अतः वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 22.12.24 को परिवादी श्री श्रवण राम व आरोपी श्री अशोक विश्नोई कानि के मध्य व्हाटसअप पर दर्ज की वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड कार्यालय के कम्पयूटर की सहायता से मूल मैमोरी कार्ड का संधारण कर गवाहान व परिवादी की उपस्थिति मे फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई। दिनांक 22.12.24 को वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय परिवादी श्री श्रवणराम व सहपरिवादी श्री सकताराम तथा आरोपी श्री नारायण सिंह तथा श्री अशोक कुमार कानि के मध्य रूबरू हुई वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड को कम्पयूटर की सहायता से संधारण किया जाकर सुन-सुनकर हुबहु फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता अलग से तैयार की जाकर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। उक्त दोनो मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय के श्री अर्जुन लाल कानि0 244 से कार्यालय के सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर में आपॅरेट कर दर्ज वार्ताओं को शब्द ब शब्द सुना गया तो दर्ज वार्ताओं में उपस्थित परिवादी श्री श्रवणराम व सहपरिवादी श्री सकताराम ने उक्त दर्ज वार्ताओं में एक-एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री अशोक कुमार विश्नोई की एवं तीसरी अन्य आवाज श्री नारायण सिंह की होना पहचान किया। मूल मैमोरी कार्डो में रिकार्ड की गई वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से पृथक-पृथक चार-चार सीडीयों मे संधारित कर तैयार करवाई गई। जिसमे उक्त दोनो मूल मैमोरी कार्ड को निरन्तरता की जांच के लिये एक कपड़े की थैली में डालकर सिलचिट कर मार्क-एन दिया जाकर एफ0एस0एल0 हेतु, तथा एक-एक सीडी को कपड़े की थैली में डालकर सिलचिट कर मार्क-एस अंकित कर न्यायालय हेतु तथा दूसरी अन्य दो-दो सीडीयों को आरोपीयां० हेतु पृथक-पृथक कपड़े की थैली में डालकर सिलचिट कर क्रमशः मार्क एस-1 व एस-2 अंकित किया जाकर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर जमा मालखाना कराया जाने हेतु मालखाना ईन्चार्ज को सुपुर्द किया गया। अन्य शेष चतुर्थ दो सीडी को कागज के लिफाफे में रख कर मार्क एस-3 अंकित किया जाकर अनुसंधान अधिकारी हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त मूल मैमोरी कार्ड की पृथक पृथक हैश टेग वेल्यू निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्रवणराम व सहपरिवादी श्री सकताराम की मौजूदगी मे दिनांक 23.12.2024 को परिवादी श्री श्रवणराम व आरोपी श्री अशोक कुमार विश्नोई कानि के मध्य वक्त रिश्वत राशि लेनदेन से पूर्व मोबाईल पर हुई व्हाटसअप वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट एवं दिनांक 23.12.2024 को परिवादी श्री श्रवणराम, सहपरिवादी श्री सकताराम एवं आरोपी श्री अशोक कुमार विश्नोई कानि व कैलाश गुर्जर के मध्य वक्त रिश्वत राशि लेनदेन से पूर्व एवं लेनदेन के समय मोबाईल पर हुई व्हाटसअप वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट जो कार्यालय के सरकारी डिजीटल वा०इस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में दर्ज है। उक्त मैमोरी कार्ड को कार्यालय के श्री अर्जुन लाल कानि0 244 से कार्यालय के सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर में आपॅरेट कर दर्ज वार्ताओं को शब्द ब शब्द सुना गया तो दर्ज वार्ताओं में उपस्थित परिवादी श्री श्रवणराम व सहपरिवादी श्री सकताराम ने उक्त दर्ज वार्ताओं में

एक-एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री अशोक कुमार विश्नोई की एवं तीसरी अन्य आवाज कैलाश गुर्जर की होना पहचान किया। दर्ज वार्ताओ को वाईस रिकार्डर की सहायता से सुन-सुन कर शब्द-ब-शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाए गए। मूल मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से चार सीडीयो में संधारित कर तैयार करवाये गए। मूल मैमोरी कार्ड को निरन्तरता की जांच के लिये कपड़े की थैली मंे डालकर सिलचिट कर मार्क-एन-1 एफ0एस0एल0 हेतु, एक सीडी को कपड़े की थैली में डालकर सिलचिट कर मार्क-के अंकित कर न्यायालय हेतु तथा दूसरी अन्य दो सीडीयों को आरोपीयांे हेतु पृथक-पृथक कपड़े की थैली में डालकर सिलचिट कर क्रमशः मार्क के-1 व के-2 अंकित किया जाकर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर जमा मालखाना कराया जाने हेतु मालखाना ईन्चार्ज को सुपुर्द किया गया। अन्य शेष चतुर्थ सीडी को कागज के लिफाफे में रख कर मार्क के-3 अंकित किया जाकर अनुसंधान अधिकारी हेतु शामिल पत्रावली किया गया।तैयारशुदा माननीय न्यायालय एवं आरोपीयो की सीडीयो व प्रकरण से सम्बन्धित माल वजह सबूत मालखाना ईन्चार्ज श्री तुलछाराम हैड कानि0 को सुरक्षित हालत मे जमा कराये गए। तैयारशुदा माननीय न्यायालय एवं आरोपी की सीडी व प्रकरण से सम्बन्धित माल वजह सबूत मालखाना ईन्चार्ज श्री तुलछाराम हैड कानि0 को सुरक्षित हालत मे जमा कराये गए। उपरोक्त तथ्यों एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री श्रवण राम पुत्र श्री जगमाल राम जाति विश्नोई उम्र 37 वर्ष निवासी डावरा तहसील बावडी पुलिस थाना खेडापा जिला जोधपुर एवं सहपरिवादी श्री सकताराम पुत्र श्री गोरखराम जाति विश्नोई उम्र 42 साल निवासी डावरा मानसागर तहसील बावडी थाना खेडापा जिला जोधपुर से उनके भाई व भतीजे के विरूद् पुलिस थाना बार पर दर्ज प्रकरण संख्या 123/24 के अनुसंधान मे थानाधिकारी पुलिस थाना बदनौर के श्री नारायण सिंह खिडिया उप निरीक्षक एवं श्री अशोक कुमार विश्नोई कानिस्टेबल 2075 द्वारा परिवादीगण से अनुसंधान मे सहयोग करने एवं आरोपियो के साथ मारपीट नही करने व जेसी करवाने की एवज मे अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादीगणो से 300000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 22.12.24 को एक लाख रूपये रिश्वत राशि लेना तय कर मौके पर मांग सत्यापन के समय 40,000 रूपये आरोपी श्री अशोक कुमार विश्नोई कानि. द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर 60,000 रूपये शेष रिश्वत राशि लेना तय किया। उक्त रिश्वत राशि मांग के अनुसरण मे वैध पारिश्रमिक भत्ते के अतिरिक्त आज दिनांक को 45000 रूपये की शेष रिश्वत राशि जिसमे से 5000 रूपये प्रचलित भारतीय मुद्रा के तथा शेष 40,000 रूपये के डमी नोटो की मुद्रा राशि को श्री अशोक कुमार विश्नोई कानि. 2075 पुलिस थाना बदनौर जिला ब्यावर के कहे अनुसार उसके परिचित श्री कैलाश गुर्जर ने प्राप्त किया जो रिश्वत राशि श्री कैलाश गुर्जर की पहनी हुई जिन्स पेन्ट की दाहीनी जेब से बरामद हुए है। श्री कैलाश गुर्जर के दोनो हाथो एवं पहनी हुई जींस पेंट की दाहिनी जेब के धोवण से प्राप्त मिश्रण का रंग गुलाबी प्राप्त होना पाया गया है। दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री कैलाश गुर्जर एवं श्री हीरालाल की रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं लेनदेन वार्ता मे किसी प्रकार की कोई वार्ता दर्ज नही होना पाया गया है एवं उक्त लेनदेन की कार्यवाही के संबंध मे श्री कैलाश गुर्जर व श्री हीरालाल को किसी प्रकार की कोई जानकारी होना नही पाई गई है। अतः श्री कैलाश गुर्जर व श्री हीरालाल की उक्त ट्रेप कार्यवाही मे किसी प्रकार की कोई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भूमिका नही होना पाये जाने से गिरफ्तार नही करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री नारायण सिंह खिडिया पुत्र श्री आईदान सिंह चारण उम्र 54 वर्ष, जाति चारण निवासी पीथा का खेडा रायपुर पुलिस थाना रायपुर जिला भीलवाडा हाल उप निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना बदनौर जिला ब्यावर एवं श्री अशोक कुमार विश्नोई पुत्र श्री दुर्गाराम उम्र 30 साल जाति विश्नोई निवासी ढाको की ढाणी फतेहसागर पीलवा तहसील व पुलिस थाना लोहावट जिला फलौदी हाल कानि नम्बर 2075 पुलिस थाना बदनौर जिला ब्यावर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम(यथा संशोधन 2018) 1988 सहपठित धारा 61 (2) बी.एन.एस 2023 का कारित करना पाया जाने से उपरोक्त आरोपीगणो के विरूद् बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक भ्र.नि.ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है। (राकेश कुमार वर्मा) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट अजमेर .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राकेश कुमार वर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस0यू0 अजमेंर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमय 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं धारा 61 (2) बी.एन.एस 2023 में आरोपीगण 1. श्री नारायण सिंह खिडिया पुत्र श्री आईदान सिंह चारण उम्र 54 वर्ष, निवासी मण्डोल पोस्ट पीथा का खेडा रायपुर पुलिस थाना रायपुर जिला भीलवाडा हाल उप निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना बदनौर जिला ब्यावर एवं 2.श्री अशोक कुमार विश्नोई पुत्र श्री दुर्गाराम उम्र 30 साल निवासी ढाको की ढाणी फतेहसागर पीलवा तहसील व पुलिस थाना लोहावट जिला फलौदी हाल कानि नम्बर 2075 पुलिस थाना बदनौर जिला ब्यावर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कंचन भाटी पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टे0 अजमेंर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 301 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 1693-97 दिनांक 24-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा । 2-महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज अजमेंर। 3-पुलिस

अधीक्षक जिला ब्यावर 4-उप महानिरीक्षक पुलिस प्रथम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस0यू0 अजमेंर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the Investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KANCHAN BHATI **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 2[illegible]/2024 [illegible]3

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1970				
2	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)